



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 367 राँची, गुरुवार, 1 आषाढ़, 1945 (श०)
22 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

30 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-79/2017 का.-3100--श्री नुरूल होदा, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-691B/03), तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड़, सम्प्रति- मृत के विरुद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1701, दिनांक 19.04.2017 के माध्यम से उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-477/आ०, दिनांक 13.09.2014 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री नुरूल होदा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महेशपुर दिनांक 30.08.2009 से 22.10.2009 तक महेशपुर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में थे। इसलिए अनाज सड़ने/नष्ट होने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति होने में इनकी जवाबदेही बनती है। इस प्रकार उनके द्वारा उत्तरदायित्व की अवहेलना एवं कर्तव्यहीनता की गई है, जिसके फलस्वरूप सरकार को आर्थिक क्षति पहुँची है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7754, दिनांक 05.06.2017 द्वारा श्री होदा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री होदा के पत्र, दिनांक 06.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्यों को उल्लेख किया गया-

(i) श्री होदा दिनांक 05.11.2007 से 14.12.2010 तक महेशपुर, पाकुड़ में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे, परन्तु दिनांक 30.08.2009 से 22.10.2009 तक वे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर के अतिरिक्त प्रभार में नहीं रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार के संबंध में किसी भी सक्षम स्तर से प्रभार लेने का आदेश निर्गत नहीं किया गया था और न ही उन्होंने प्रभार लिया था।

(ii) जहां तक जब्त अनाज की नीलामी का प्रश्न है तो यह कार्रवाई Jharkhand Control Act की धारा-6A के तहत अधिहरण में पारित आदेश के पश्चात् ही होता है। अधिहरण का प्रस्ताव जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक-182/आ०, दिनांक 08.06.2007 के द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में प्राप्त हुआ और अधिहरण वाद सं०-01/2007 में अभिलेख की कार्रवाई 17.07.2007 को प्रारंभ की गई, जिसका निष्पादन 10.11.2010 को किया गया, जिसमें लगभग तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हुआ, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि किस स्तर से विलम्ब हुआ है।

(iii) दिनांक 30.08.2009 से 22.10.2009 तक वे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में नहीं रहे हैं। अतः उनके द्वारा न ही लापरवाही बरती गई और न ही कर्तव्यहीनता।

श्री होदा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10749, दिनांक 18.10.2017 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2658 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-2604/जि०आ०, दिनांक 23.09.2020 द्वारा गठित मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री होदा के विरुद्ध गठित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-816, दिनांक 05.02.2021 एवं पत्रांक-4635, दिनांक 07.09.2021 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से श्री होदा के कृत्य से हुई सरकारी राशि की क्षति एवं उसकी वसूली के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक-1170, दिनांक 03.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री होदा एवं उनकी पत्नी की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

उक्त अनुसार आरोपी पदाधिकारी के मृत्यु के उपरांत उनके विरुद्ध संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाही को अविलंब समाप्त कर दिया जाना है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री नूरुल होदा, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महेशपुर, पाकुड़ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
